

न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

निगरानी संख्या- 120/2014-15

अन्तर्गत धारा-219 भू0रा0अधि0

गोपाल सिंह पुत्र कृपालु, निवासी ग्राम-भैरव पट्टी, भरपुर तहसील देवप्रयाग, जनपद टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

बनाम

शूरवीर सिंह पुत्र कुंवर सिंह, निवासी-ग्राम भाला, पो0 भाला यमकेश्वर, जनपद पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।
अधिवक्ता निगरानीकर्ता : अनुपस्थित।
अधिवक्ता प्रतिपक्षी : श्री अरुण सक्सेना।

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्ता उपरोक्त ने तहसीलदार, देवप्रयाग, जनपद टिहरी द्वारा नामान्तरण वाद संख्या-231/2013 अन्तर्गत धारा-34 भू0रा0अधि0 शूरवीर सिंह बनाम गोपाल सिंह में पारित आदेश दिनांक 10-06-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

निगरानी सुनवाई हेतु ग्रहण किये जाने की तिथि दिनांक 09-09-2015 से आज तक इसमें सुनवाई हेतु सात बार तिथि नियत की जा चुकी है मात्र एक तिथि को छोड़ कर शेष तिथियों पर निगरानीकर्ता उपस्थित नहीं हुआ है, विगत लगातार दो तिथियों पर तो निगरानीकर्ता और न ही उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए हैं। फलस्वरूप एकपक्षीय रूप से निगरानी निर्णीत की जा रही है।

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य यह हैं कि:-

उत्तरदाता/प्रार्थी ने विक्रय पत्र दिनांक 11-12-2007 से निगरानीकर्ता/प्रतिवादी गोपाल सिंह से ग्राम वी-भैरव पट्टी-भरपुर, तहसील देवप्रयाग, जनपद टिहरी के खतौनी खाता संख्या-0006 से उसके अंश की भूमि रकवा 1.067 हे0 क्रय की गई एवं तत्पश्चात दिनांक 22-12-2010 को उक्त भूमि का अपने नाम नामान्तरण हेतु तहसीलदार देवप्रयाग को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे दर्ज रजिस्टर कर घोषणा पत्र जारी करने के आदेश 22-12-2010 को तहसीलदार, देवप्रयाग द्वारा दिया गया। नामान्तरण की कार्यवाही गतिमान रहते निगरानीकर्ता द्वारा यह आपत्ति प्रस्तुत की गई कि उत्तरदाता/वादी द्वारा क्रय की गई भूमि अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दी गई है तथा उसे अब नामान्तरण की कार्यवाही चलाने का अधिकार नहीं है। तत्पश्चात उत्तरदाता/प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता के पैरोकार द्वारा

दिनांक 25-05-2015 को एक प्रार्थना पत्र यह कहते हुए प्रस्तुत किया कि कतिपय कारणों से आपत्तिकर्ता अपनी आपत्ति को वापस लेकर उस पर बल नहीं देना चाहता है तथा उचित एवं सक्षम अधिकारी/न्यायालय में चारा जोई करेगा जिसे आपत्तिकर्ता के अधिवक्ता द्वारा सत्यापित किया गया। आपत्तिकर्ता द्वारा आपत्ति वापस लेने के उपरान्त नामान्तरण वाद निर्विवाद होने पर विद्वान, तहसीलदार, देवप्रयाग ने उत्तरदाता/वादी के पक्ष में नामान्तरण आदेश दिनांक 10-06-2015 पारित किया। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

मैंने उत्तरदाता/नामान्तरण प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं उपलब्ध अभिलेखों का सम्यक अध्ययन किया।

उत्तरदाता/नामान्तरण प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क था कि निगरानीकर्ता/प्रतिवादी द्वारा ग्राम वी-भैरव पट्टी, तहसील, देवप्रयाग के खतौनी खाता संख्या-0006 मध्य अपने अंश की सम्पूर्ण भूमि क्षेत्रफल 1.067 हे० विक्रय पत्र दिनांक 11-12-2007 से उत्तरदाता को विक्रय कर दी है, उत्तरदाता द्वारा तहसीलदार, देवप्रयाग के समक्ष नामान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि जिस पर निगरानीकर्ता द्वारा पहले आपत्ति की गई लेकिन बाद में अपनी आपत्ति वापस ली गई जिसे आपत्तिकर्ता के अधिवक्ता द्वारा सत्यापित भी किया गया है। निगरानीकर्ता/आपत्तिकर्ता द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 11-12-2007 को निरस्त करने हेतु एक वाद सिविल जज (जू०डि०) कीर्तिनगर के न्यायालय में भी प्रस्तुत किया गया जो खारिज किया गया है इसके विरुद्ध भी जो अपील जिला जज, टिहरी के न्यायालय में प्रस्तुत की गई है वह भी 28-05-2015 को खारिज किया जा चुका है कि आदेश दिनांक 10-06-2015 के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः निगरानी निरस्त की दी जाए।

विक्रय पत्र एवं उपलब्ध खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता/आपत्तिकर्ता द्वारा अपने अंश की सम्पूर्ण भूमि उत्तरदाता/प्रतिवादी को विक्रय की गई है। इसी विक्रय पत्र के आधार पर उत्तरदाता/नामान्तरण प्रार्थी द्वारा तहसीलदार, देवप्रयाग के समक्ष नामान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। संगत खतौनी में विक्रेता सहखातेदार के रूप में भूमिधर अंकित है, उसने अपने अंश की ही भूमि क्रेता/नामान्तरण प्रार्थी को विक्रीत की है। तदनुसार अन्य कोई विधिक बिन्दु अन्तर्निहित न होने के दृष्टिगत नामान्तरण अनुमन्य था। धारा-34 भू०रा०अधि० के अन्तर्गत नामान्तरण की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है जिसमें स्वत्व सम्बन्धी गूढ़ बिन्दुओं का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में जो आपत्ति निगरानीकर्ता/आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई थी उसे उसके द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वापस लिया जा चुका है। विद्वान तहसीलदार, देवप्रयाग ने अपने आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया है कि "आपत्ति वापस हो जाने के बाद कोई भी आपत्ति सुनवाई हेतु शेष नहीं है वाद निर्विवाद है तथा भू०रा०अधि० के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है," से स्पष्ट है कि विद्वान तहसीलदार द्वारा

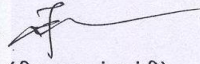


नामान्तरण वाद गुण-दोष के आधार पर निस्तारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

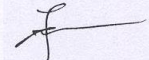
उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निगरानी अस्वीकृत होने योग्य है।

आदेश

निगरानी अस्वीकृत की जाती है।


(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक 11-05-2016 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।


(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)